

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक स्था.2/सी/व्या/स्थानां./53/10/1265
//आदेश//

भोपाल,दिनांक 5/8/10

संचालनालय लोक शिक्षण के ओदशक्रमांक स्था-2/सी/व्या/स्थानां./38/10/921-22 दिनांक 15.6.2010 द्वारा श्रीमती वर्षा पाटनकर व्याख्याता (जीवविज्ञान) शास.आदर्श क.उ.मा.वि. रायसेन जिला रायसन का स्थानांतरण शास.हमीदिया गर्ल्स उ.मा.वि.भोपाल जिला भोपाल किया गया था। जिसमें एन.द. द्वारा संशोधन करते हुये पदांकित संस्था को शास.उ.मा.वि. मुगालिया छाप भोपाल संस्था में किया जाता है।

2/ पूर्व आदेश में जारी शेष शर्तें यथावत रहेगी।



लोक शिक्षण म.प्र.
भोपाल,दिनांक 5/8/10

पृष्ठा. क्रमांक स्था.2/सी/व्या/स्थानां./53/10/1266
प्रतिलिपि-

1. निज सहायक,मान मंत्रोजी स्कूल शिक्षा, म.प्र.शासन, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
3. कलेक्टर जिला भोपाल म.प्र.।
4. जिला कोषालय अधिकारी जिला भोपाल म.प्र.।
5. संयुक्त संचालक भोपाल संभाग भोपाल
6. जिला शिक्षा अधिकारी जिला भोपाल। म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यगुक्त करने के पूर्व भेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को स्कूल संचालन में कार्यमुक्त/कार्यभार प्रत्यक्ष कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विवर्णित जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अदगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।।
7. संबंधित संस्था प्रचारार्थ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संबंधित की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



लोक शिक्षण म.प्र.